

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 03, सोमवार, शाके 1947- नवम्बर 24, 2025 Agrahayana 03, Monday, Saka 1947- November 24, 2025	

भाग 6 (ग)

**ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)**

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 21, 2025

संख्या एफ.15(39)पंरा/विधि/पंचायत समिति गठन/2025/844:- विभागीय अधिसूचना संख्या एफ.15(36)पुनर्गठन/विधि/पंरा/2024/02 दिनांक 10.01.2025 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994(1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-9, 10 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किये जाने हेतु उपयोग कर प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिये प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्तियां आमंत्रण करने एवं उन पर सुनवाई करने के कार्य हेतु अधिकृत किया गया था।

जिला कलेक्टर्स द्वारा उपर्युक्त कार्यवाई किये जाने के पश्चात् उनके द्वारा तैयार किये गये प्रस्तावों एवं की गई अभिशंखाओं का परीक्षण कर, प्रस्तावों का राज्य सरकार से अनुमोदन करवाये जाने के पश्चात् **सवाई माधोपुर** जिले की निम्नलिखित पंचायत समितियों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया जाता है और कि :-

1. **सवाई माधोपुर** जिले की निम्नलिखित पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित पंचायत समितियां उस नाम से जानी जायेंगी जो कि नीचे वर्णित अनुसूची के स्तम्भ 4 में वर्णित है।
2. वह स्थानीय क्षेत्र जिस पर इस प्रकार पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित और अनुसूची के स्तम्भ 4 में यथानामित पंचायत समितियां अधिकारिता का प्रयोग करेगी, ऐसा होगा जैसा कि स्तम्भ 5 में वर्णित है।
3. अनुसूची के स्तम्भ संख्या 4 में यथावर्णित पंचायत समितियों के चुनाव के पश्चात् उक्त जिले की विद्यमान वे पंचायत समितियां जो अनुसूची के स्तम्भ संख्या 2 में वर्णित हैं उस तारीख से ही विद्यमान नहीं रहेंगी और कार्य करना बन्द कर देंगी जिससे अनुसूची के स्तम्भ 4 में वर्णित पंचायत समितियों का कार्यकाल प्रारम्भ होगा।

क्र. सं.	वर्तमान पंचायत समिति का नाम एवं मुख्यालय	वर्तमान पंचायत समिति में सम्मिलित ग्राम पंचायतों का नाम	पुनर्गठित/ नवसृजित प0स0 का नाम एवं मुख्यालय	पुनर्गठित/नवसृजित पंचायत समिति में सम्मिलित ग्राम पंचायतों का नाम
1	2	3	4	5
1	गंगापुर सिटी	1. रेण्डायल गुर्जर 2. खण्डीप 3. मोहचा 4. भालपुर 5. मीना बडौदा 6. बडौली 7. रायपुर 8. फुलवाडा 9. मैडी 10. पावटा 11. पीलौदा 12. बगलाई 13. शिवाला 14. सेवा 15. श्यारौली 16. उदेई खुर्द 17. महानंदपुर डोडया 18. जीवली 19. चूली ग्रामीण 20. छावा 21. टोकसी 22. महुकलां 23. उदेई कला 24. खानपुर बडौदा 25. जाट बडौदा 26. बाढ कला 27. बिदरखा 28. हिगोटया 29. सलेमपुर 30. उमरी	गंगापुर सिटी	1. चूली ग्रामीण 2. छावा 3. महुकलां 4. खानपुर बडौदा 5. जाट बडौदा 6. बाढ कला 7. विदरखा 8. हिगोटया 9. सलेमपुर 10. उमरी 11. खूटला सलौना 12. बामन बडौदा 13. अहमदपुर 14. आस्ट्रौली मय सोनपुर 15. कुनकटा कला 16. अमरगढ 17. बूचोलाई 18. मीना पाडा 19. नौगाँव 20. तलावडा 21. नारायणपुर 22. हीरापुर 23. खेडा बाढ रामगढ 24. टोकसी 25. उदेई कला 26. हबीबपुर-मोतीपुरा 27. मच्छीपुरा

1781

		31. खूटला सलौना 32. बामन बडौदा 33. अहमदपुर 34. आस्ट्रोली मय सोनपुर 35. कुनकटा कला 36. अमरगढ 37. बूचोलाई 38. मीना पाडा 39. नौगाँव 40. तलावडा 41. नारायणपुर 42. हीरापुर 43. खेडाबाढ रामगढ 44. हबीबपुर-मोतीपुरा 45. मच्छीपुरा 46. मोहचा का पुरा 47. कुसांय 48. शेखपुर 49. कमालपुर		
2			वजीरपुर	1. रेण्डायल गुर्जर 2. खण्डीप 3. मोहचा 4. भालपुर 5. मीना बडौदा 6. बडौली 7. रायपुर 8. फुलवाडा 9. मैडी 10. पावटा 11. पीलौदा 12. बगलाई 13. शिवाला

1782

				14. सेवा 15. श्यारौली 16. उदेई खुर्द 17. महानंदपुर डोडया 18. जीवली 19. शेखपुर 20. कुसांय 21. मोहचा का पुरा 22. कमालपुर
--	--	--	--	--

राज्यपाल की आज्ञा से,

डॉ० जोगा राम,

शासन सचिव ।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।